

राजस्थान सरकार
गृह (मानवाधिकार) विभाग
क्रमांक: प.2(1)एचएचआर/1996 पार्ट

जयपुर, दिनांक

—: अधिसूचना :—

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष पद न्यायाधीश श्री गोपाल कृष्ण व्यास के सेवानिवृत्त होने से वर्तमान में रिक्त चल रहा है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 25(1) के प्रावधानों की अनुपालना में श्री रामचन्द्र सिंह झाला, सदस्य राज. राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर को नये अध्यक्ष की नियुक्ति किये जाने तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(रवि शर्मा)
शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान जयपुर।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) राजस्थान जयपुर।
4. महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जयपुर।
6. श्री रामचन्द्र सिंह झाला कार्यकारी अध्यक्ष राज. राज्य मानवाधिकार आयोग जयपुर।
7. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
8. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव गृह विभाग राज. जयपुर।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह, विभाग राज. जयपुर।
10. कोषाधिकारी, सचिवालय जयपुर।
11. वरिष्ठ लेखाधिकारी, गृह(गुप-2) विभाग।
12. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में अधिसूचना प्रकाशित करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
5598508

शासन सचिव, गृह (विधि)